

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2024/ 9965

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 17.12.25

अप्रार्थीगण

1 उमाराम 2 खरथाराम 3 नगराम
पिसरान किसनाराम 4 मीरों देवी
पत्नि किसनाराम जाति जाट निवासी
धतरवालों का सरा, छीतर का पार
तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

1 नरसिंगाराम पुत्र वगताराम जाति जाट निवासी
धतरवालों का सरा, छीतर का वगैराह तहसील बाटाडू
जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-02/2025

दिनांक- 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धतरवालों का सरा पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या क्रमशः 20, 462/30 रकबा क्रमशः 3.9803, 12.5233 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9966-69

दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण उमाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण नरसिंगाराम पुत्र वगताराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का वगैराह तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

